

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 245 #
गुरुवार, 23 मार्च, 2023/2 चैत्र, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

- उत्तराखंड में पर्यटक गाइडों का क्षमता निर्माण
- 245#. डा. कल्पना सैनी:
- क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
- (क) क्या सरकार को देश में पर्यटकों की कुल संख्या के बारे में जानकारी है;
- (ख) यदि हां, तो उत्तराखंड सहित तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) सरकार द्वारा उत्तराखंड के टूरिस्ट गाइडों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और
- (घ) सरकार की इन पर्यटक गाइडों में विशेषज्ञता संबंधी क्षमता निर्माण के लिए क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

उत्तराखंड में पर्यटक गाइडों का क्षमता निर्माण के संबंध में दिनांक 23.03.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 245# के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण

(क) और (ख) : जी हां, महोदय । वर्ष 2020, 2021 और 2022 के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का राज्य-वार विवरण अनुबंध में दिया गया है ।

(ग) और (घ) : पर्यटन मंत्रालय दिनांक 1 जनवरी, 2020 से अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम चला रहा है जो कि एक डिजिटल पहल है और इसका उद्देश्य पूरे देश में सुप्रशिक्षित तथा पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों का एक पूल तैयार करने के लिए ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म तैयार करना है । इस प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत, उच्च अतुल्य भारत पर्यटक गाइड (आईआईटीजी) (विरासत तथा एडवेंचर), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं । अभ्यर्थी इन पाठ्यक्रमों को किसी भी स्थान से, किसी भी समय और अपनी गति के अनुसार पूरा कर सकते हैं । आईआईटीजी (विरासत) पाठ्यक्रम की शुरुआत दिनांक 3 अगस्त 2022 को भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीएम) द्वारा की गई है । आईआईटीएफ प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए कम से कम एक राज्य के संबंध में विशेषज्ञता प्राप्त करनी होती है । हालांकि वैयक्तिक ज्ञान के संवर्धन के लिए एक से अधिक राज्य मॉड्यूल लिए जा सकते हैं जो वैकल्पिक है ।

मौजूदा गाइडों की क्षमता में वृद्धि करने के प्रयोजन से एक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम की शुरुआत की गई है ताकि उन्हें आईआईटीएफ/आईआईटीजी की नई प्रणाली में शामिल की जा सके । पर्यटन मंत्रालय द्वारा आईआईटीएम के माध्यम से अभ्यर्थियों के लिए विदेशी भाषा (अंग्रेजी को छोड़कर) के मौखिक भाषा पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं । ये उत्तराखण्ड राज्य के गाइडों/सुविधाप्रदाताओं के लिए भी हैं ।

इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाता (एलटीएफ) कार्यक्रम भी चला रहा है जो विभिन्न देशों से भारत की यात्रा करने वाले पर्यटकों की सहायता हेतु अलग-अलग विदेशी भाषाओं में प्रशिक्षित श्रमशक्ति के सृजन और विदेशी पर्यटकों से उनकी अपनी भाषा में प्रभावी ढंग से बातचीत कर सकने के लिए मौजूदा सेवाप्रदाताओं के कौशल उन्नयन के लिए डच, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी आदि में ऑफलाइन मोड में चलाए जा रहे छह सप्ताह की अवधि की भाषा पाठ्यक्रम हैं । इस संबंध में विवरण निम्नानुसार है :-

भाषायी पर्यटक सुविधाप्रदाता (एलटीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों की वर्ष-वार और पाठ्यक्रम-वार संख्या

(वित्त वर्ष 2018-19 से शुरुआत)

क्र. सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या				कुल
		2018-19	2019-20	2021-22	2022-23	
1	चीनी - एलटीएफ	26	106	60	60	252
2	थाई -एलटीएफ	111	97	120	90	418

3	जापान - एलटीएफ	78	72	90	60	300
4	वियतनाम - एलटीएफ	-	35	0	30	65
	कुल	215	310	270	240	1035

इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड राज्य पर्यटन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य के पर्यटक गाईडों की क्षमता में वृद्धि के लिए उत्तराखण्ड के पर्यटन विभाग में वर्ष 2022 में निम्नलिखित प्रशिक्षण दिए गए हैं :-

1. पर्यटन गंतव्य गाइड प्रशिक्षण

क्र. सं.	जिला	संस्थान का नाम	प्रशिक्षण प्रारंभ तिथि	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	देहरादून	आईएनटीएसीएच	20.09.2022	22
2	बागेश्वर	आईएनटीएसीएच	10.11.2022	24
3	टिहरी	पर्यटन विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय सिनगर, पौड़ी	27.09.2022	27
4	पौड़ी	पर्यटन विभाग, एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय सिनगर, पौड़ी	03.11.2022	30
		कुल योग		103

2. एडवेंचर गाईड

क्र. सं.	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षुओं की संख्या
1	हाई एल्टीट्यूड गाइड पाठ्यक्रम	17
2	लो एल्टीट्यूड गाइड पाठ्यक्रम	429
	कुल योग	446

इसके अतिरिक्त भविष्य की कार्ययोजना में 1000 विरासत पर्यटक गाईडों के प्रशिक्षण के लिए 32 स्थानों का चयन किया गया है। इसके अलावा राज्य में प्रकृति संबंधी गाईडों के लिए 500 लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अनुबंध

उत्तराखंड में पर्यटक गाइडों का क्षमता निर्माण के संबंध में दिनांक 23.03.2023 के राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 245# के भाग (क) और (ख) के उत्तर में विवरण

वर्ष 2020, 2021 और 2022 में भारत में घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटक यात्राओं (एफटीवी) का राज्य-वार विवरण

(आंकड़े '000 में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	2020		2021		2022 (अ)	
		घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी	घरेलू	विदेशी
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	191.2	5.4	126.2	1.7	235.1	4.5
2	आंध्र प्रदेश	70828.6	67.6	93277.6	27.6	192716.7	165.8
3	अरुणाचल प्रदेश	42.9	1.0	102.9	0.2	209.9	1.0
4	असम	1266.9	7.3	1409.2	0.5	8382.0	9.0
5	बिहार	5638.0	308.1	2501.2	1.0	25535.6	86.8
6	चंडीगढ़	418.0	12.2	228.8	5.5	4026.9	26.2
7	छत्तीसगढ़	2810.2	2.3	4747.4	0.0	18387.1	0.6
8	दादरा और नगर हवेली	105.0	0.2	197.8	0.1	259.4	0.5
9	दमन और दीव	297.4	1.4	463.4	0.1	538.1	1.3
10	दिल्ली*	9583.7	681.2	10642.5	100.2	10642.5	100.2
11	गोवा	3258.7	302.8	3308.1	22.1	7006.2	179.7
12	गुजरात	19464.5	210.0	24525.2	11.3	30546.0	2196.0
13	हरियाणा	2114.7	17.5	2025.5	4.6	5941.8	10.9
14	हिमाचल प्रदेश	3170.7	42.7	5632.3	4.9	15070.9	29.3
15	जम्मू और कश्मीर	2519.5	5.3	11314.9	1.7	18617.7	20.0
16	झारखंड	2574.7	0.5	3383.6	1.6	38284.4	192.3
17	कर्नाटक	77453.3	165.3	81333.7	72.5	182413.2	128.5
18	केरल	4989.0	340.8	7537.6	60.5	18867.4	345.5
19	लक्षद्वीप	3.5	0.4	13.5	0.0	22.8	0.1
20	मध्य प्रदेश	23519.6	99.8	25554.1	41.6	33695.0	174.0
21	महाराष्ट्र*	39234.6	1262.4	43569.2	185.6	43569.2	185.6
22	मणिपुर	49.7	3.1	49.4	0.6	139.5	3.9
23	मेघालय	24.7	2.3	154.4	0.4	937.1	7.9
24	मिजोरम	30.9	0.3	87.2	0.2	218.4	2.6
25	नागालैंड	11.0	0.5	24.0	0.3	97.4	2.9
26	ओडिशा	4622.3	10.2	3742.2	2.3	7867.9	22.1

27	पुदुचेरी	1114.9	92.1	1253.2	0.3	1619.2	0.9
28	पंजाब	16692.2	359.1	26640.4	308.1	26089.4	329.5
29	राजस्थान	15117.2	446.5	21988.7	34.8	108328.2	396.7
30	सिक्किम	316.4	19.9	511.7	11.5	1625.6	68.6
31	तमिलनाडु	140651.2	1228.3	115336.7	57.6	192518.3	329.9
32	त्रिपुरा	127.8	31.9	177.8	0.0	235.6	8.5
				32000.			
33	तेलंगाना	39997.0	46.7	6	5.9	60748.4	68.4
34	उत्तर प्रदेश	86122.3	890.9	109708.4	44.7	139936.5	213.9
35	उत्तराखंड	7005.3	41.3	19434.5	8.5	54642.6	61.6
36	पश्चिम बंगाल	28841.7	463.3	24326.0	34.8	84542.2	1037.0
37	लद्दाख	6.7	1.1	303.0	1.1	51.0	21.3
	कुल	610216.2	7171.8	677633.0	1054.6	1434565.3	6433.6

अ. अनंतिम

स्रोत: राज्य/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन विभाग

*दिल्ली तथा महाराष्ट्र के लिए डीटीवी और एफटीवी के आंकड़े संपूर्ण वर्ष के लिए अनुमानित आंकड़े हैं ।

नोट : वर्ष 2022 के दौरान चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के लिए डीटीवी और एफटीवी के आंकड़े आंशिक रूप से अनुमानित आंकड़े हैं ।
